



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 माघ 1947 (श10)

(सं0 पटना 195) पटना, शुक्रवार, 13 फरवरी 2026

उद्योग विभाग

शुद्धि पत्र

12 फरवरी 2026

सं० ह०क०सह०(यो०/दर्जी)-06/2019/188-1. विभागीय अधिसूचना सं०-1352 दिनांक-13.09.2025 द्वारा दर्जी आर्टिजन विकास समिति के तीन दर्जी आर्टिजनो को गैर सरकारी सदस्य के रूप में अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले दो वर्षों के लिए मनोनीत किया गया है।

2. उक्त अधिसूचना में टंकण अशुद्धि के फलस्वरूप क्रमांक-(ii) में वर्णित अहमद रजा, पिता-स्व० नूर मोहम्मद, पता-दरियापुर, वार्ड नं०-17, फतुहा, जिला-पटना के नाम को अमजद रजा, पिता-स्व० नूर मोहम्मद, पता-दरियापुर, वार्ड नं०-17, फतुहा, जिला- पटना पढ़ा जाए।

3. उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित किया जाता है, अधिसूचना की अन्य शर्तें यथावत रहेंगे।

4. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट,

सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 195-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>